

31 मार्च 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

भूगोल

1. उच्च तीव्रता के उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक नई श्रेणी की आवश्यकता

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राज्यव्यवस्था

1. सीएए नियम अस्वीकृत आवेदकों के भविष्य को लेकर मौन हैं

शासन

1. आईटी अधिनियम में बदलाव से MSMEs को सहायता प्राप्त होना अभी बाकी है

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था

1. युवाओं में बेरोजगारी अधिक क्यों है?

पर्यावरण

1. क्या वैश्विक वन विस्तार का असर आदिवासियों पर पड़ेगा?

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

E. संपादकीय:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. एमपॉक्स (Mpox)

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**

सीएन नियम अस्वीकृत आवेदकों के भविष्य को लेकर मौन हैं
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

राज्यवस्था

विषय: भारतीय संविधान- संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान।

मुख्य परीक्षा: सीएन से संबंधित विषय

प्रसंग:

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) ने अस्वीकृत आवेदकों के भाग्य के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि संबंधित नियमों में समीक्षा प्रक्रियाओं के प्रावधानों का अभाव है। स्पष्टता की इस कमी ने विशेष रूप से संभावित आवेदकों को चिंतित कर दिया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय, जो दशकों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन दस्तावेज़ जांच या प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट के कारण उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।

मुद्दे

- अस्पष्ट **CAA** नियम: CAA के तहत नियम अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा खारिज किए गए आवेदनों के लिए किसी भी समीक्षा प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करते हैं, जिससे आवेदकों में उनके अगले कदम के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।
- संभावित अस्वीकृति: यदि आवेदकों के दस्तावेज़ जांच में विफल हो जाते हैं या यदि उनके खिलाफ प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है, तो आवेदकों को अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, खासकर मटुआ जैसे समुदायों के लिए जो बांग्लादेश से चले गए हैं और वर्षों से भारत में रह रहे हैं।
- हिरासत की चिंताएँ: अस्वीकृत आवेदकों को हिरासत केंद्रों में भेजे जाने की आशंका का डर है, जिससे प्रभावित समुदायों के भीतर चिंताएँ बढ़ सकती हैं और नागरिकता प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

महत्व

- कानूनी अस्पष्टता: नियमों में समीक्षा प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति कानूनी अस्पष्टता पैदा करती है और संभावित आवेदकों की आशंकाओं को बढ़ाती है, जो संभावित रूप से CAA के उद्देश्यों को कमजोर करती है।
- सामुदायिक प्रभाव: मटुआ जैसे समुदाय, जिन्हें CAA का लाभ मिलने वाला है, विशेष रूप से स्पष्टता की कमी के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं को प्रभावित करता है।
- मानवीय चिंताएँ: हिरासत सहित अस्वीकृति के संभावित परिणाम, मुद्दे के मानवीय पहलू को उजागर करते हैं, जिससे नागरिकता आवेदन और समीक्षा के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

समाधान

- नियमों का स्पष्टीकरण: अस्वीकृत आवेदनों के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष समीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार को CAA के तहत नियमों को स्पष्ट करने की सख्त जरूरत है, ताकि उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- समीक्षा तंत्र: अधिकार प्राप्त समितियों के भीतर या एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से समीक्षा तंत्र की स्थापना अस्वीकृत आवेदकों को सहारा प्रदान कर सकती है, उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है और एक न्यायपूर्ण नागरिकता प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकती है।
- सामुदायिक जुड़ाव: मटुआ जैसे प्रभावित समुदायों के साथ जुड़ना, और बातचीत तथा सक्रिय उपायों के माध्यम से उनकी चिंताओं को संबोधित करना नागरिकता प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा दे सकता है और अस्वीकृति और हिरासत के डर को कम कर सकता है।

सारांश: अस्वीकृत आवेदकों के भविष्य के संबंध में CAA नियमों में स्पष्टता की कमी नागरिकता प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करती है। नियमों के स्पष्टीकरण, समीक्षा तंत्र की स्थापना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करना नागरिकता ढांचे में न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

आईटी अधिनियम में बदलाव से MSMEs को सहायता प्राप्त होना अभी बाकी है

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

शासन

विषय: विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

मुख्य: MSME के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

प्रसंग:

- केंद्रीय बजट ने आयकर अधिनियम, विशेष रूप से धारा 43 b (h) में एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। हालांकि यह हस्तक्षेप लंबे समय में MSMEs को लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके तत्काल प्रभाव ने विशेषज्ञों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मुद्दे

- विलंबित भुगतान: आयकर अधिनियम की धारा 43 b (h) में MSMEs को समय पर भुगतान अनिवार्य करने के प्रावधान के बावजूद, कई छोटे उद्योगों को खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। यह देरी न केवल MSMEs की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है बल्कि उनकी परिचालन दक्षता को भी प्रभावित करती है।
- खरीदारों को खोने का जोखिम: कुछ MSMEs, विशेष रूप से सूक्ष्म इकाइयों को, उन खरीदारों को खोने के जोखिम का सामना करना पड़ता है जो उदयन (UDYAN) योजना के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए संशोधित आयकर अधिनियम द्वारा आरोपित कठोर भुगतान समयसीमा को जिम्मेदरा माना जा सकता है, जो खरीदारों को संभावित कर प्रभावों से बचने के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

महत्व

- **MSMEs** के लिए वित्तीय स्थिरता: MSMEs को समय पर भुगतान उनकी वित्तीय स्थिरता और वहनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम में हस्तक्षेप का उद्देश्य विलंबित भुगतान के प्रचलित मुद्दे को संबोधित करना और छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करना है, जिससे वे अपने नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो सकें।
- बेहतर कारोबारी माहौल: समय पर भुगतान सुनिश्चित करने से MSMEs के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल बनता है, जिससे उनकी वृद्धि और अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ावा मिलता है। विलंबित भुगतान से जुड़े जोखिमों को कम करके, MSMEs अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और विकास के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

समाधान

- जागरूकता और आउटरीच: सरकारी एजेंसियों और उद्योग संघों को संशोधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों और समय पर भुगतान के लाभों के बारे में MSMEs को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उन्नत आउटरीच प्रयास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि MSMEs अपने लाभ के लिए प्रावधानों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाएं।
- सुव्यवस्थित कार्यान्वयन: धारा 43 b (h) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को MSMEs के संचालन में व्यवधानों को कम करने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। इसमें निर्धारित भुगतान समयसीमा का पालन करने में MSMEs और खरीदारों दोनों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- नीति समायोजन: नीति निर्माताओं को हस्तक्षेप के कुछ पहलुओं को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए, जैसे भुगतान समयसीमा बढ़ाना या नियमों का अनुपालन करने वाले खरीदारों को प्रोत्साहन की पेशकश करना। नीति कार्यान्वयन में लचीलापन समग्र उद्देश्यों को पूरा करते हुए MSMEs के सामने आने वाली तत्काल चुनौतियों को कम कर सकता है।

सारांश:

- आयकर अधिनियम की धारा 43 b (h) में संशोधन MSMEs को विलंबित भुगतान के मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इसका

कार्यान्वयन अल्पावधि में चुनौतियां पैदा कर सकता है, विशेष रूप से सूक्ष्म इकाइयों के लिए, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के दीर्घकालिक लाभ पर्याप्त हैं।

उच्च तीव्रता के उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक नई श्रेणी की आवश्यकता

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित

भूगोल

विषय: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान- अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

प्रारंभिक परीक्षा: उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

मुख्य परीक्षा: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के हालिया पैटर्न।

प्रसंग:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता ने सैफिर-सिम्पसन (SS) हरिकेन पवन पैमाने पर एक नई श्रेणी, श्रेणी 6, स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा को प्रेरित किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शक्तिशाली और विनाशकारी मौसमी घटनाएँ हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरीय द्रोणियों पर बनती हैं, जिनमें तेज़ हवाएँ, भारी वर्षा और तूफान आते हैं।

मुद्दे

- तीव्र होते चक्रवात: ग्लोबल वार्मिंग के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हवा की चरम गति SS हरिकेन पवन पैमाने पर श्रेणी 5 द्वारा समायोजित की गई गति से अधिक हो गई है। अवलोकनों से पता चलता है कि मौजूदा पैमाने की ऊपरी सीमा से कहीं अधिक तेज हवा के साथ चक्रवातों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
- ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि ने समुद्र की सतह के तापमान और महासागर के उष्णन को बढ़ा दिया है, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारक, जैसे गर्म वातावरण और विस्तारित गर्म पानी, चक्रवातों की शक्ति और लंबी अवधि में योगदान करते हैं।
- श्रेणी 6 की आवश्यकता: SS हरिकेन पवन पैमाने, जिसे शुरू में चक्रवातों को श्रेणी 5 तक वर्गीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, में 252 किमी/घंटा से अधिक की हवा की गति वाले तूफानों के लिए प्रावधानों का अभाव है। जैसा कि हाल के शोध से पता चला है, श्रेणी 5 की तीव्रता से अधिक के चक्रवातों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को पहचानने और उनके बारे में सचेत करने की आवश्यकता बढ़ रही है।

महत्व

- उन्नत जोखिम संचार: SS पवन पैमाने पर श्रेणी 6 की स्थापना असाधारण तीव्र चक्रवातों से जुड़े खतरों के संबंध में अधिक सटीक जोखिम संचार की सुविधा प्रदान करेगा। इससे समुदायों और अधिकारियों को चरम मौसम की घटनाओं के लिए बेहतर तैयारी करने और प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी।
- आपदा प्रबंधन की तैयारी: श्रेणी 6 के चक्रवातों की पहचान के लिए आपदा प्रबंधन रणनीतियों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सरकारों को, विशेष रूप से उत्तरी

हिंद महासागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, भविष्य की चरम चक्रवाती घटनाओं के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए तैयारी बढ़ानी चाहिए।

समाधान

- पवन पैमाने में संशोधन: 309 किमी/घंटा से अधिक की चरम हवा की गति वाले चक्रवातों के लिए श्रेणी 6 को शामिल करने के लिए SS पवन पैमाने में प्रस्तावित संशोधन को अपनाने से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गंभीरता को वर्गीकृत करने और उनके बार में सचेत करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान किया जाएगा।
- अनुकूली आपदा प्रबंधन: भारत सहित सरकारों को श्रेणी 6 के चक्रवातों से उत्पन्न बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए अपनी आपदा प्रबंधन नीतियों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को संशोधित करना चाहिए। इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश करना, निकासी प्रक्रियाओं को मजबूत करना और चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए सामुदायिक लचीलापन बढ़ाना शामिल है।
- जलवायु शमन प्रयास: तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मूल कारण को संबोधित करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। दीर्घकालिक रूप से चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और अनुकूलन उपायों को लागू करना आवश्यक है।

सारांश:

- श्रेणी 6 के चक्रवातों का प्रस्ताव गर्म होती जलवायु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के तीव्र होने से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों के अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। चरम मौसमी घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानने और उनके लिए तैयारी करने से, सरकारें सुभेद्य समुदायों की रक्षा कर सकती हैं और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं का सामना करने में लचीलापन निर्मित कर सकती हैं।

युवाओं में बेरोजगारी अधिक क्यों है?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

अर्थव्यवस्था

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: युवाओं में उच्च बेरोजगारी के कारण।

प्रसंग:

- भारत में उच्च युवा बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जो रोजगार के अवसरों की कमी, कौशल असंतुलन और श्रम बल में लैंगिक असमानता जैसे कारकों के कारण और भी गंभीर हो गई है। मानव विकास संस्थान (IHD) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, देश में युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है, जिसमें मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया

मुद्दे

- युवा बेरोजगारी: शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के अनुपात में वृद्धि के बावजूद, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न युवाओं के प्रतिशत में गिरावट आई है। शिक्षित युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच बेरोजगारी समय के साथ काफी बढ़ गई है, जो संकट की भयावहता को उजागर करती है।
- शिक्षा की गुणवत्ता: रिपोर्ट शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी के मुद्दे को रेखांकित करती है। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार हासिल करने की उनकी संभावनाएँ बाधित हो रही हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों का प्रभुत्व बेरोजगारी की चुनौती को और बढ़ा देता है, जिसमें अधिकांश युवा खुद को कम उत्पादक और कम कमाई वाली स्थिति में पाते हैं। वास्तविक मजदूरी में गिरावट या ठहराव श्रमिकों की दुर्दशा को बढ़ाता है, जिससे गरीबी और अल्परोजगार का चक्र कायम रहता है।
- लैंगिक असमानताएँ: श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार लैंगिक अंतर देखा जा रहा है। 2019 के बाद कुछ सुधारों के बावजूद, रिपोर्ट उत्पादक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

महत्व

- आर्थिक विकास के निहितार्थ: युवाओं को श्रम बाजार में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में असमर्थता भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास पथ के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करती है। युवा बेरोजगारी को संबोधित करना और श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ाना दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने और आय असमानता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता: युवा बेरोजगारी और अल्परोजगारी का उच्च स्तर सामाजिक अशांति और असंतोष को जन्म दे सकता है, जिससे सामाजिक एकजुटता और स्थिरता कमजोर हो सकती है। रोजगार के अवसर पैदा करने और नौकरी की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेप समावेशी विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

समाधान

- कौशल विकास: कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा से अलग करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ा सकता है और श्रम बाजार में कौशल अंतराल को पाट सकता है।
- औपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देना: औपचारिक क्षेत्र में अधिक नौकरियाँ उत्पन्न करने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ युवाओं को सुरक्षित और समुचित रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देना भी रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है।
- महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करना: श्रम बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करना, जैसे महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करना, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करना और महिला उद्यमियों के लिए सहायता प्रदान करना, लैंगिक अंतराल को कम करने और समग्र श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

सारांश:

- युवा बेरोजगारी की बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिए नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। कौशल विकास, औपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने को प्राथमिकता देने वाले समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत अपनी युवा आबादी की क्षमता को उजागर कर सकता है, समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है और एक अधिक लचीला और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है।

क्या वैश्विक वन विस्तार का असर आदिवासियों पर पड़ेगा?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

पर्यावरण

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

मुख्य परीक्षा: आदिवासियों पर वैश्विक वन विस्तार का प्रभाव।

प्रसंग:

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क (GBF) का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वन आवरण, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों को दुनिया के स्थलीय क्षेत्र के कम से कम 30% तक बढ़ाना है। हालाँकि यह पहल जैव विविधता संरक्षण का वादा करती है, लेकिन यह चिंता भी बढ़ाती है, खासकर भारत में जनजातियों जैसे स्वदेशी समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में।

मुद्दे

- स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव: संरक्षित क्षेत्रों (PAs) का विस्तार करने का GBF का लक्ष्य इन क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता पैदा करता है। भारत में कई आदिवासी गाँव राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के भीतर या उनके निकट स्थित हैं, जिससे वे विस्थापन और आजीविका के नुकसान के प्रति संवेदनशील हैं।
- अधिकारों से इनकार: जब PAs की स्थापना या विस्तार किया जाता है, तो स्वदेशी लोगों को अक्सर उनके अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा से इनकार भी शामिल है। इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों के उदाहरण संरक्षण प्रयासों के नाम पर स्वदेशी समुदायों के हाशिए पर जाने और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को उजागर करते हैं।
- निजी क्षेत्र की भूमिका: वन संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसा कि भारत में वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 जैसे कानून द्वारा सुगम बनाया गया है, स्वदेशी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने के बारे में चिंता पैदा करती है।

महत्व

- जनजातीय अस्तित्व के लिए खतरा: GBF के तहत PAs का विस्तार उन स्वदेशी समुदायों के अस्तित्व और आजीविका को खतरे में डाल सकता है जो ऐतिहासिक रूप से प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं।

आदिवासी भूमि की रक्षा करना न केवल जैव विविधता संरक्षण के लिए बल्कि स्वदेशी लोगों की सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- पर्यावरणीय न्याय: पर्यावरणीय न्याय और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण प्रयासों में स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्वदेशी आवाज़ों को दबाना और संरक्षण के नाम पर अन्याय जारी रखना स्थिरता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

समाधान

- स्वदेशी अधिकारों की मान्यता: भारत सहित सरकारों को स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, जिसमें संबंधित कानूनों के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र, पूर्ण और सूचित सहमति (FPIC) का अधिकार भी शामिल है। स्वदेशी लोगों को उनके पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण के प्रबंधन को स्वीकार करते हुए संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षक बनाया जाना चाहिए।
- समावेशी नीति निर्माण: नीतिगत हस्तक्षेपों में संरक्षण योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्वदेशी दृष्टिकोण को शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मौजूदा कानूनों में संशोधन से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जनजातीय भूमि को असमान रूप से लक्षित नहीं किया जाए और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों की हिस्सेदारी हो।
- मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करना: सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सहित संरक्षित क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जैव विविधता संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए स्वदेशी लोगों को दंडात्मक उपायों के अधीन लाने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए।

सारांश:

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क दुनिया भर में संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है। हालाँकि, स्वदेशी समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना जरूरी है, खासकर भारत जैसे महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले देशों में।

संपादकीय-द हिन्दू

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. एमपॉक्स (Mpox)

प्रसंग:

- जानवरों में 4 एमपॉक्स टीके सुरक्षा के सहसंबंधों को प्रकट करते हैं।

विवरण:

- एमपॉक्स - एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) मंकीपॉक्स वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है।

- इससे दर्दनाक चकते, लिम्फ नोड्स में वृद्धि और बुखार हो सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है।
2. मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
3. यह भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. ब्रेन स्ट्रोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

1. स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित या कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
2. स्ट्रोक के दो मुख्य प्रकार हैं: स्थानिक-अरक्तता (इस्केमिक) और रक्तस्रावी (हीमोरेजिक)।
3. उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और मधुमेह स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारकों में से कुछ हैं।
4. स्ट्रोक से मनोभ्रंश विकसित होने की आशंका बढ़ जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2, और 3
- (c) केवल 2, 3, और 4
- (d) 1, 2, 3, और 4

उत्तर: (d)

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) स्वामित्व की परवाह किए बिना, एक निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य।
- (b) एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उसकी भूमि पर या विदेशी भूमि पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- (c) एक निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य।
- (d) एक निश्चित अवधि में किसी देश के शुद्ध निर्यात को छोड़कर, सभी व्यक्तिगत उपभोग व्यय, व्यावसायिक निवेश और सरकारी खर्च का योग।

उत्तर: (a)

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. FATF की "ग्रे सूची" में किसी देश को शामिल करने से उस देश पर स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के आर्थिक प्रतिबंध लागू हो जाते हैं।
- 2. FATF की सिफारिशें सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें आवश्यक विधायी परिवर्तन लागू करने की आवश्यकता होती है।
- 3. FATF एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन द्वारा धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न 5. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है?

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल
- (b) UNEP सचिवालय
- (c) UNFCCC सचिवालय
- (d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. नवंबर 2021 में ग्लासग्लो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में शुरू की गई ग्रीन ग्रिड पहल के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यह विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में कब प्रस्तुत किया गया था? [\(Explain the purpose of Green Grid Initiative launched at the World Leaders Summit of COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November 2021. When was the idea first floated in the International Solar Alliance \(ISA\)?\)](#)

(10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, पर्यावरण)

प्रश्न 2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी पुनः प्रवर्तित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश (AQGs) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये 2005 में इसके अंतिम अद्यतन से किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन बदलावों की आवश्यकता है? [\(Describe the key points of the revived Global Air Quality Guidelines \(AQGs\) recently released by the World Health Organisation \(WHO\). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?\)](#)

(10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, पर्यावरण)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)